न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 285 / 14

सत्यनारायण माहेश्वरी आयु 48 वर्ष दत्तक पुत्र श्री मांगीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल निवासी खोजा गेट रोड, बून्दी तहसील बून्दी जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलक्टर, बून्दी ।
2. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पगारा द्वारा प्रधानाचार्य रा0उ0प्रा0वि0 ग्राम पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री अभेय देव शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 21.03.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.04.2001 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि कार्यालय जिला कलक्टर , बून्दी ने अपने आदेश दिनांक 20.04.2001 के द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, धर्मशाला तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए अन्य भावन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 नियम – 4 के अन्तर्गत ग्राम पगारा की आराजी कुल किता 08 की रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा भूमि का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पंगारा तहसील हिण्डोली के खेल मैदान हेतु निःशुल्क आवंटन करने का आदेश पारित किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.04.2001 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया ।

4. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीलिंग बून्दी के यहॉ विचाराधीन कार्यवाही अन्तर्गत धारा 144 जाप्ता दीवानी में तहसीलदार की रिपोर्ट आने के बाद दिनांक 27.08.2014 को प्रस्तुत होने पर उक्त निर्णय की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर उक्त आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

5. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

...लान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील मीमो में कहे गये ...थनों को दोहराया और निवेदन किया कि उक्त भूमि अपीलान्ट के खातेदारी एवं स्वामित्व की भूमि है जिसे किसी को भी आवंटित करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । अपीलान्ट की उक्त भूमि पैतृक भूमि है जिस पर अपीलान्ट काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । उक्त आवंटन कवेल कागजों में अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.04.2001 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि कार्यालय जिला कलक्टर , बून्दी ने अपने आदेश दिनांक 20.04.2001 के द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, धर्मशाला तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए अन्य भावन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 नियम – 4 के अन्तर्गत ग्राम पगारा की आराजी कुल किता 08 की रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा भूमि का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पंगारा तहसील हिण्डोली के खेल मैदान हेतु निःशुल्क आवंटन करने का आदेश पारित किया जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.04.2001 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया, अपील मीमो का अवलोकन किया एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 20.04.2001 के द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, धर्मशाला तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए अन्य भावन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 नियम – 4 के अन्तर्गत ग्राम पगारा की आराजी कुल किता 08 की रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा भूमि का राजकीय उच्च प्राथमिंक विद्यालय, पंगारा तहसील हिण्डोली के खेल मैदान हेतु निःशुल्क आवंटन करने का आदेश पारित किया जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.04.2001 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा